निदेशक, उद्यानिकी पंजाब व अन्य

विरुद्ध

जगजीवन प्रसाद

(सिविल अपील संख्या 2256/2008)

मार्च 31, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत, पी. सदाशिवम एवं

आफताब आलम, न्यायमूर्ति]

निर्णय/आदेश- तर्कसंगत आदेश- आवश्यकता- श्रम न्यायालय के द्वारा पारित पंचाट के केवल एक भाग को संदर्भित करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज किया जाना- अभिनिर्धारित-पोषणीय नहीं-आदेश दर्शित करता है कि आदेश में कारणों को उल्लेख करने के आधारभूत आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा गया है एवं आदेश में मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है-इसलिए मामला नये सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

प्रत्यर्थी-बागवान को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। श्रम न्यायालय द्वारा पंचाट पारित किया गया कि बर्खास्तगी विधि विरुद्ध है, क्योंकि कर्मकार द्वारा 240 दिनों से अधिक कार्य किया गया तथा कर्मकार 50 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ बहाली, सेवा की निरतंरता एवं अन्य सेवा लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका यह कहते हुए खारिज की गई कि पंचाट के एक भाग में दिए गए कारणों के कारण इस रिट में कोई गुण नहीं था। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपील को स्वीकार करते हुए एवं मामले को प्रतिप्रेषित करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. कारणों से आदेश स्पष्ट होता है यह व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करता है। कारणों को उल्लेख करने पर इसलिए जोर दिया जाता है कि यदि निर्णय "स्फिंक्स के गूढ चेहरे", को उजागर करता है, तो यह अपने मौन से न्यायालयों के लिए अपने अपीलीय कार्य करना या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करने में निर्णय की वैधता को न्यायनिर्णयन करने को असंभव बना देता है। कारण सहित आदेश का अधिकार सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली का अनिवार्य भाग है। अन्य युक्तिसंगत कारण यह है कि प्रभावित पक्षकार यह जान पाये की निर्णय उसके विरुद्ध क्यों हुआ। नैसर्गिक न्याय की एक हितकर आवश्यकता है कि आदेश के कारण लिखे जाए, दूसरों शब्दों में बोलना। "स्फिंक्स का गूढ चेहरा" सामान्यतः न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कार्यों से असंगत है। [पैरा 8] [855- सी-ई]

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड कोमेर्सियल बैंक बनाम पी.सी कक्कड़ 2003 (4) एससीसी 364- इस पर निर्भर।

2.1 उच्च न्यायालय का आदेश यह दर्शित करता है कि पंचाट के पैरा संख्या 8 को संदर्भित करने के अतिरिक्त आदेश में कोई कारण वर्णित नहीं किये गए या नहीं दर्शाए गए। संदर्भित पैराग्राफ में जो निष्कर्ष दिए गए है, उन्हें रिट याचिका में आक्षेपित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा जिस रीति से रिट याचिका का निस्तारण किया गया है, उस पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। विभिन्न विवाद बिन्दु जो उच्च न्यायालय के समक्ष उठाये गए, का उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। न्याय का सबसे स्पष्ट का विचार है कि उच्च न्यायालयों को अपने आदेश में कारणों को उल्लेखित करना चाहिए, चाहे जितने संक्षिप्त हो, अपने आदेश में मस्तिष्क का प्रयोग

दर्शित होना चाहिए, खासकर तब जब उसका आदेश चुनौती योग्य हो। उच्च न्यायालय द्वारा जिस रीति से रिट याचिका निस्तारित की गई है, वह दर्शाती है कि कारणों को दर्शाने की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान में रखा गया है तथा मस्तिष्क के प्रयोग नहीं करने का यह उत्कृष्ट मामला है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय में कारणों को दर्शित नहीं करना आदेश को असंवहनीय बनाता है। इसलिए उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है तथा मामला विधि अनुसार विचार करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष को कारणों सहित वर्णित करते हुए स्पष्ट आदेश पारित करें। [पैरा स. 4, 5 और 9] [854- डी- एफ; 855- एफ- जी]

ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन 1971 (1) एएलएल ईआर 1148; अलेक्जेंडर मशीनरी (डुडले) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री 1974 (1) सी. आर. 120 संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2256/2008

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ की सिविल रिट याचिका संख्या 6622/2005 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 29.04.2005 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की।

अरुण के सिन्हा, अजयपाल, निखिल जैन, अपीलार्थी की ओर से।

अशोक कुमार शर्मा, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 6622/2005 को खारिज करने के निर्णय को चुनौती दी गई है। रिट याचिका में श्रम न्यायालय, जालधंर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 13.01.2005 को चुनौती दी गई थी।

3. मामले की पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है-

प्रत्यर्थी प्रारम्भ में बागवान के रूप में दिनांक 02.02.1989 को नियुक्त किया गया। उक्त आदेश को जिला कल्याण अधिकारी द्वारा इस आधार पर खण्डित कर दिया गया कि उसकी नियुक्ति सरकार के निर्देशों के विपरीत पायी गई थी। इसी अनुसार दिनांक 25.01.1997 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 11.05.1999 को शिकायत करने पर श्रम आयुक्त पंजाब चण्डीगढ़ पीठ द्वारा मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 की धारा 10 (1) (सी) के तहत श्रम न्यायालय को न्याय निर्णयन हेतु निर्देशित किया गया। श्रम न्यायालय द्वारा पारित पंचाट दिनांकित 13.01.2005 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी की बागवान की बर्खास्तगी अवैध थी और कर्मकार 50 प्रतिशत बकाया वेतन सहित पुनः बहाली, सेवा की निरतंरता व अन्य सेवा संबंधी फायदे पाने का अधिकारी है। पंचाट को चुनौती देते हुए रिट याचिका प्रस्तुत की गई। श्रम न्यायालय ने पाया कि यद्यपि दावा यह था कि प्रत्यर्थी ने सेवा समाप्ति की दिनांक से विगत 12 कैलेण्डरों महिनों में 240 दिन कार्य नहीं किया था, तो भी यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया कि रविवार व अन्य अवकाश के दिनों को सेवा से अनुपस्थिति के दिनों को हिसाब में लिया जावेगा। इसी अनुसार श्रम न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रत्यर्थी ने240 दिनों से अधिक दिन कार्य किया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिलिखित करते हुए रिट याचिका खारिज की।

"पंचाट के पैरा संख्या 08 में वर्णित कारणों को देखते हुए हमें कोई गुण नहीं मिला। खारिज की गई"।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि उच्च न्यायालय का आदेश तर्कसंगत नहीं है तथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में जिस पैरा संख्या 8 को संदर्भित किया गया है, उससे वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति का पता नहीं चलता है। प्रदर्श एम 2 श्रृंखला को संदर्भित करते हुए यह तथ्य लाने का प्रयास किया कि फरवरी 1996 से जनवरी 1997 की अवधि तथा फरवरी 1995 से जनवरी 1996 की अवधि में प्रत्यर्थी ने 240 दिनों से काफी कम कार्य किया है। यह भी निवेदन किया कि यह भार प्रत्यर्थी पर था कि वह यह साबित करें कि उसने बर्खास्तगी से पूर्व के कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन तक कार्य किया हो दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

4. उच्च न्यायालय के आदेश के उद्धृत भाग से पता चलता है कि आदेश में पंचाट के पैरा संख्या 08 के अतिरिक्त कोई कारण नहीं बताया गया है। पैराग्राफ के इस निष्कर्ष को रिट याचिका में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारण की रीति पर काफी विचार किया जाना अपेक्षित है। विभिन्न विवाद बिन्दुओं को उठाया गया था, जिनमें से एक यह था कि क्या अपीलार्थी को उद्योग के रूप में माना जा सकता है। जिन पहलुओं को उच्च न्यायालय द्वारा विचार में नहीं लिया गया।

5. कारण आदेश को स्पष्ट करते है। न्याय का स्पष्ट विचार है कि उच्च न्यायालय को अपने कारणों का उल्लेख करना चाहिए था, चाहे कितने ही संक्षिप्त हो, आदेश से मस्तिष्क का प्रयोग दर्शित होना चाहिए। खासकर तब जब उसका आदेश चुनौती के योग्य हो। उच्च न्यायालय का आदेश, कारणों की अनुपस्थिति से पोषणीय नहीं रहा।

6. हम पाते हैं कि रिट याचिका में पात्रता संबंधी विवाद बिन्दु अंतरग्रस्त है। उच्च न्यायालय ने जिस रीति से याचिका का निस्तारण किया है वह दर्शाता है कि कारणों को दर्शित करने की मूलभूत आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया और यह मस्तिष्क का उपयोग नहीं करने का उत्कृष्ट मामला है। इस न्यायालय ने कई मामलों में कारणों को उल्लेखित करने की आवश्यकता बतायी है।

7. प्रशासनिक आदेशों के संबंध में लॉर्ड डेनिंग एमआर ने ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन (1971) 1 एएलएलईआर 1148, (एएलएलईआर पी. 1154 एच) मामले में पाया कि "कारण बताना अच्छे प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है।" अलेक्जेंडर मशीनरी (डुडले) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री 1974 (1) सी. आर. 120 संदर्भित। के मामले में पाया कि:

> "कारण बताने में विफलता न्याय से इंकार करने के बराबर है कारण, निर्णय लेने वाले के मस्तिष्क, विवाद और विवाद के निष्कर्ष के बीच जीवित संबंध है।"

8. कारण, व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को उल्लेख करने पर इसलिए जोर दिया जाता है कि यदि निर्णय "स्फिंक्स के गूढ चेहरे" को उजागर करता है, तो यह अपने मौन से न्यायालयों के लिए अपने अपीलीय कार्य करना या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करने में निर्णय की वैधता को न्यायनिर्णयन करने को असंभव बना देता है।

कारण सहित आदेश का अधिकार सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली का अनिवार्य भाग है। अन्य युक्तिसंगत कारण यह है कि प्रभावित पक्षकार यह जान पाये की निर्णय उसके विरुद्ध क्यों हुआ। नैसर्गिक न्याय की एक हितकर आवश्यकता है कि आदेश के कारण लिखे जाए, दूसरों शब्दों में बोलना। "स्फिंक्स का गूढ चेहरा" सामान्यतः न्यायिक या

अर्द्धन्यायिक कार्यों से असंगत है। देखे: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड कोमेर्सियल बैंक बनाम पी.सी कक्कड़ [(2003 (4) एस. सी. सी. 364])।

9. यह होते हुए, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त करते है और मामले को विधि अनुसार विचार करने हेतु प्रतिप्रेषित करते है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारणों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट आदेश पारित करें।

10. उपयुक्त अनुसार अपील स्वीकार की जाती है। खर्चों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

अपील अनुज्ञात

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीष कुमार जोशी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।